[illegible]4/2024

फर्द अहकाम

बिमा शर्मा बनाम अमरीश वगै०

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या 186 / 2024 दावा बाबत बटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा आर.टी.एक्ट

तारीख हुक्म या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
[illegible].10.2024	वादी की ओर से यह वाद पत्र जरिये अभिभाषक श्री खेमचन्द यादव ने पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ता ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 18/11/24 को पेश हो। sd/- सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज	
18/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० पत्रावली आईन्दा तलबी प्रतिवादीगण हेतु आईन्दा दिनांक 21/11/24 को पेश हो। sd/- सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	
21/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० प्रकरण में प्रतिवादीगण की तामील हो चुकी है। बाद तामील उपस्थित नहीं। प्रतिवादीगण को उपस्थित होने हेतु समाहित के हवाले किया जाता है। पत्रावली वास्ते उचित कार्यवाही बाबत तामील हेतु दिनांक 25/11/24 को पेश हो। sd/- सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	
25/11/24	वकील वादी उप० प्रतिवादीगण बाद तामील उपस्थित नहीं। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 29/11/24 को पेश हो। sd/-	
29/11/24	वकील वादी उप० पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 3/12/24 को पेश हो। sd/- सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	

फर्द अहकाम

श्रवण देवी बनाम राजेन्द्र प्रसाद वगैरह

न्यायालय ACM (AD) Shahpura - Jaipur

संख्या 39/2024 दावा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21/2/25	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ की न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त ...... हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 5/3/25 को पेश हो। (रीडर)	
5/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में प्राप्त दरियाफ्त रिपोर्ट का वकील वादी द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत मुताबिक दरियाफ्त रिपोर्ट अनुसार दावा डिक्री किए जाने हेतु निवेदन किया सुना गया। पत्रावली वास्ते कार्यवाही दिनांक 3/4/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	
3/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत दरियाफ्त रिपोर्ट सही प्रतीत होती है अतः अंतिम डिक्री जारी की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। निर्णय शामिल पत्रावली हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :— 139 / 2024

उनवान

1. श्रवण देवी पत्नी श्री गिरधारी लाल जाति मीणा निवासी बिशनगढ, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

— वादीया

बनाम

1. रामेश्वर प्रसाद मीणा पुत्र श्री सूरज मल मीणा जाति मीणा, निवासी नायन तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

— प्रतिवादीगण

उपस्थिति अधिवक्तागण :—

1. श्री राजेन्द्र यादव, वादी की ओर से

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :— 3.4.2025

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता संख्या 581 के आराजी खसरा नंबर 1253 / 3833 रकबा 0.50 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.50 है0, वाकै ग्राम बिशनगढ पटवार हल्का बिशनगढ, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0, जिसमें वादीया का हिस्सा 16 / 25 है। हाल जमाबंदी वाद पत्र के साथ संलग्न है। यहकि वाद पत्र के जिमन न 01 में आराजी को वादीया एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी मौके पर अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज रहकर उपयोग उपभोग कर रहे है। यहकि वादीया एव प्रतिवादीगण के मध्य वाद पत्र के जिमन नं 01 मे वर्णित आराजीयात का विधिक बंटवारा नही हुआ है। किन्तु अब प्रतिवादी सं 1 के मन मे दुर्भावना आ गई है और उन्होने वादीया के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना लिया है तथा वे वादीया को उनके कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे मजाहमत पैदा करने लग गया है तथा आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा करवाये ही वाद पत्र के जिमन नं 1 मे वर्णित आराजीयात के विशिष्ट भू भाग पर कब्जा करने पर आमादा है तथा वादीया के काबिज

हिस्से की आराजी मुतनाजा को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है जिसका उनको कोई विधिक हक व अधिकार नही है।

यह कि 10 दिन पूर्व को वादीया अपने हिस्से पर थी इतने मे ही प्रतिवादी सं. 1 आया तथा वादीया के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया। इस पर वादीया ने प्रतिवादी से कहा कि मै मेरे हिस्से की भूमि का ही उपयोग उपभोग कर रही हूं आप मुझे जबरन नही रोक सकते तथा ना ही जबरन कब्जा कर सकते हो। इस पर प्रतिवादी आग बबूला हो गया तथा वादीया के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये। इस पर वादीया ने प्रतिवादी से कहा कि उक्त आराजीयात का कानूनी बंटवारा कर ले जिससे अपने बीच हमेशा के लिये विवाद समाप्त हो जावे तो प्रतिवादी ने वादीया को बंटवारा करने से स्पष्ट मना कर दिया साथ ही एलानिया धमकी दी कि आपको अपने हिस्से मे आने जाने नही देगे तथा इस पर पुख्ता निर्माण कर लेगे तथा आपको बेदखल करके रहेगे व आपकी भूमि पर कब्जा करेगे तथा विशिष्ट भू भाग का किसी दीगर व्यक्ति को बेचान कर देगे तथा पक्का निर्माण कर कब्जा कर लेगे। इस पर वादीया व वादीया के पति ने बडी मुश्किल से प्रतिवादी को वहा से निकाला। यहकि यदि प्रतिवादी अपने मंसूबे मे सफल हो गया और उसने वाद पत्र के जिमन नं. 1 की आराजीयात का बिना कानूनी बंटवारा करवाये आराजी मुतनाजा पर पुख्ता निर्माण कर लिया। आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू भाग को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष मे अंतरण डीड पंजीबद्ध करवाकर जबरन अजनबी व्यक्ति को आराजीयात के विशिष्ट भू भाग पर कब्जा करवा देगे तथा वादीया को बेदखल कर देगे तो इससे वादीया के खातेदारी हक अधिकारो का हनन होगा व वादीया को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि मे नही किया जा सकेगा तथा पक्षकारो के मध्य अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढेगी इस कारण वादीया को प्रतिवादी के विरूद्ध उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। यहकि बिनाय दावा वाद पत्र के जिमन नं. 1 मे वर्णित आराजीयात मुतनाजा वादीया व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी होने एवं प्रतिवादी द्वारा अरसा 10 दिन पूर्व को वादीया को उनके हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने मे व्यवधान पैदा करने तथा बंटवारा करने से स्पष्ट मना करने तथा आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू भाग पर निर्माण कार्य करने व बेचान करने पर आमादा होने तथा वादीया को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल किये जाने की धमकी देने से पैदा होकर दावा [illegible]मियाद पेश है।

[illegible]अन्त मे निवेदन किया कि हाल आराजी खाता सं 581 के आराजी खसरा नं [illegible]3 / [illegible]33 रकबा 0.50 कुल किता 01 कुल रकबा 0.50 हैक्ट., वाके ग्राम बिशनगढ [illegible] हल्का बिशनगढ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. जिसमे वादी का हिस्सा

16/25 है का मौके के हिसाब से वादी एंव प्रतिवादी के मध्य कब्जा काश्त व राजस्व नियमावली के अनुसार बंटवारा किया जाकर उक्त बंटवारे का राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करवाया जावे तथा वादी को उनके हिस्से मे आई भूमि का अलग से कब्जा करवाया जाकर लगान का निर्धारण किया जावे एवं प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी के बंटवारे मे आई भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा या अडचन पैदा नहीं करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में दिनांक 02.01.2025 को प्रतिवादीगण बाद तामील उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रकरण प्राथमिक डिक्री जाकर तहसीलदार शाहपुरा को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने बाबत् आदेशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2025/992 दिनांक 03.03.2025 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का वकील वादी द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं कर दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया। वकील वादी को सुना गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि वकील वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई एवं मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किये जाने हेतु वकील वादी सहमत है। कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतीत होने से दावा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी खाता सं 581 के आराजी खसरा नं 1253/3833 रकबा 0.50 कुल किता 01 कुल रकबा 0.50 हैक्ट., वाकै ग्राम बिशनगढ पटवार हल्का बिशनगढ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0 की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

क्र0सं0	नाम पक्षकार	विभाजित / हिस्से में आई भूमि	कुल किता	कुल रकबा
1	श्रवण देवी पत्नी गिरधारी जाति मीणा	आराजी खसरा नंबर 1253/3833/1 रकबा 0.32 है0	01	0.32 है0

2	रामेश्वर प्रसाद पुत्र सुरजमल जाति मीणा	आराजी खसरा नंबर 1253/3833/2 रकबा 0.18 है0	01	0.18 है0
		योग	02	0.50 है0

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदर, R.A.S)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर • शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.